न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 44/2018

अपीलांट

बुधा गोद पुत्र दीपाजी जाति सिरवी निवासी कराडी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. गंगा पुत्री नगा जी पत्नी श्री नारायणजी जाति सिरवी निवासी कराडी
2. चुन्नीलाल पुत्र जसा
3. लुम्बा
4. झांला पि. हेमा
5. तुलसा पुत्र जगा
6. वरदा
7. नारायण पि. किशना
8. लखा
9. ओगड
10. मोहन पि. हरीया
11. दौला
12. धना
13. घीसा
14. शेरा पि. ओखा
15. सुजा गोद भीखा
16. विरदा
17. मोटा पि. भाणा
18. रामा पुत्र गमना
19. पका गोद केशा
20. रामा पुत्र मूला
21. लालु
22. नेमा पि. जीवा
23. व 24 दावे में नाम अंकित नहीं है जो बाद में हटाये गये।
25. घीसा पुत्र पना
26. तेजा
27. मांगीलाल पि. बुधाराम समस्त कौम सिरवाी निवासीगण कराडी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
28. श्रीमान तहसीलदार साहब मारवाड जंक्शन
29. व्यवस्थापक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक सोजत सिटी
30. मैनेजर ग्रामीण बैंक आउवा।

राजस्व अपील संख्या : 66/2018

अपीलांट

1. नारायणलाल पुत्र सुजाराम जी उम्र 33 वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. चेलाराम पुत्र दुर्गाराम जी
3. चुन्नीलाल पुत्र खीवाराम
4. पोकरलाल पुत्र हुकमारामजी
5. दिनेश पुत्र रामलाल जी समस्त जातियान सिरवी निवासीगण कराडी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. गंगा पुत्री नगा जी पत्नी श्री नारायणजी जाति सिरवाी निवासी कराडी
2. श्रीमान तहसीलदार साहब मारवाड जंक्शन
3. व्यवस्थापक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक सोजत सिटी
4. मैनेजर ग्रामीण बैंक आउवा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र शर्मा, आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सख्या 01 की ओर से
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 28 एवं प्रकरण संख्या 66/2018 में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 407/2011 में पारित निर्णय 02.04.2018 एवं डिक्री दिनांक 14.03.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम वकील अपीलांट ने अपील संख्या 66/2018 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि खीवाराम के पुत्र रामलाल तथा रामलाल की मृत्यु हो जाने से दिनेश कुमार तथा सुजाराम की मृत्यु हो जाने से उनके पुत्र नारायणलाल वगैरा तथा हुकमाराम की मृत्यु हो जाने से उसके पुत्र पोकरलाल तथा दुर्गाराम की मृत्यु हो जाने से उसके पुत्र चेलाराम वगैरा एवं चुनीलाल जो कि खीवाराम का पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वंशावली में खीवाराम की मृत्यु 25–27 वर्ष पूर्व बताई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है। अपीलांटगण हस्तगत प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार है। जो कि नैसेसरी एवं प्रोपर पार्टी है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत कर की अनुमति प्रदान की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने जवाबदावे में इस संबध में कोई उज्र संबध में कोई प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। एवं अपील में इस संबध में अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध वंशावली एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण समस्त खीवाराम के विधिक वारिसान है। जिससे वादग्रस्त आराजी में जन्म से उक्त पक्षकारान का हक अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी में निर्णय से उक्त पक्षकारान के हक अधिकार प्रभावित होना तय है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण को हाजा न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गंगा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 349, 350, 351 कुल रकबा 33.0326 हैक्टेर, बेरा निम्बडिया के खाता संख्या 81 के खसरा नंबर 359, 366, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384 कुल रकबा 52,2547 हैक्टेर आराजी मे 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी बेरा खारचीया के नये खसरा नंबर 349, 350, 351 जिसके पुराने खसरा नंबर 181, 182, 183 मौजा कराडी की आराजीयात को संवत 1955 में जून की प्रथम तारीख को नगा ने रामा, सूजा हकीया मोटीया दरगा बेटा पोता रूपा जी को साढे पन्द्रह मण गेहु1 प्रतिफल में बेचान कर दी थी तथा बेरा निम्बडिया की जमीन 99/– में संवत 2011 में रूपा के पुत्र रामा, सूजा हकीया मोटीया दरगा बेटा रूपा ने बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। वादग्रस्त आराजीयात में रेस्पोडेन्ट गंगा के पिता नगा का कोई नाम दर्ज नहीं है। अपील संख्या 09/2005 निर्णय दिनांक 23.11.2006 में उपखंड कोर्ट सोजत के निर्णय में यह स्पष्ट है कि नगा का नाम दीपा के वारिसान में जोडा गया था जो फर्जी म्यूटेशन भरा गया था जो खारिज किया गया। लगभग 50 वर्षो से रेस्पोडेन्ट गंगा व उसके पिता का नाम रेकर्ड में नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे मे रेस्पोडेन्ट संख्या 23 खीवा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 24 भगा पि. रूपा मृत व्यक्तियो को पक्षकार बनाकर दावा प्रस्तुत किया था जिसके साक्ष्य स्वरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के वकील गोरधनसिंह जी द्वारा सम्मन के साथ जा प्रति भेजी गई थी उस पर प्रमाणित प्रति होने के हस्ताक्षर है। जिसकी फोटो प्रति प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के समक्ष खीवा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने स्वंय अपने वाद में खीवा को फौत हुए 25 वर्ष बताये है भगा को फौत हुए 27 वर्ष बताये है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत होने के बाद फर्जीवाडा कर खीवा एवं भगा को प्रतिवादी क्रमांक 23 व 24 बनाये जाने के बाद फर्जीवाडा करते हुए जब उस दावे में बहस के समय एवं साक्ष्य के समय इल्म होने पर दावे में डुल्पलीकेट कापी में फर्जीवाडा कर क्रमांक एवं नाम की जगह वाईटनर लगा दिया, जिसके संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट वकील द्वारा बहस में तथ्य उठाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत पक्षकार बनाये अपीलांटगण को सुनवाई का विधिवत अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गंगा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 349, 350, 351 कुल रकबा 33.0326 हैक्टेर, बेरा निम्बडिया के खाता संख्या 81 के खसरा नंबर 359, 366, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384 कुल रकबा 52,2547 हैक्टेर आराजी मे 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का जन्म से हक अधिकार है। नगा की तीन पुत्रीया थी, जिसमे दो बहनो ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के संबध में अपना हक तर्क कर दिया था। जमाबंदी संवत 2062–2065, 2054–2057 में गंगा पुत्री नगा का नाम दर्ज है। किन्तु उसके पश्चात जमाबंदी संवत 2010 से 2019 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपने ससुराल जाने से राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही हुआ। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या का नाम वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–2077 में दर्ज है। एवं जहां तक मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का प्रश्न है तो अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाबदावे में इस संबध में कोई उज्र प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही हाजा न्यायालय के समक्ष प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गंगा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 349, 350, 351 कुल रकबा 33.0326 हैक्टेर, बेरा निम्बडिया के खाता संख्या 81 के खसरा नंबर 359, 366, 369,

अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384 कुल रकबा 52,2547 हैक्टेर आराजी मे 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2062–2065, 2054–2057 में गंगा पुत्री नगा का नाम दर्ज है। तत्पश्चात तहसील मारवाड जंक्शन में संवत 2025 से 27 में रिवाइज्ड सेटलमेंट हुआ, जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता स्व. नगा के वारिसान का नाम इन्द्राज नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकी संख्या 01 के अन्तर्गत "जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 127 में स्पष्ट किया गया है कि कम्पीटेन्ट न्यायालय के आदेशो के बिना इन्द्राज बदलने का सेटलमेंट अथारिटिज को कोई अधिकार नही" सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार स्व0 नगाा के वारिसान का इन्द्राज अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नहीं किया जाना साबित है। सेटलमेंट विभाग को दौराने भू प्रबंध कार्यवाही में जो इन्द्राज है, उसे दोहराना मात्र है। तथा मृतक के वारिसानो का इन्द्राज किया जाना था, किसी अपंजीकृत दस्तावेज अनुसार किसी खातेदार का हक समाप्त नहीं किये जा सकते है।" का हवाला देते हुए तनकी संख्या 01 वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के हक में निर्णीत की गई है। उक्त तनकी की हद तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादपत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 23 व 24 का अंकन ही नहीं है एवं न ही किसी उक्त नंबरान पर कोई पक्षकारान संयोजित है। अपीलांटगण ने हाजा न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 23 खीवा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 24 भगा पि. रूपा का नाम अंकन होना जाहिर किया है, जिनके संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने वाद में खीवा को फौत हुए 25 वर्ष बताये है भगा को फौत हुए 27 वर्ष बताये है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त दोनो पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही फौत हो चुके थे। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या ने उक्त पक्षकारान के विधिक वारिसान को बिना पक्षकार बनाये मृतक व्यक्तियो के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायलय ने विधिक प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए मृतक पक्षकारान के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जबकि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय अपने आप में स्वत ही Nulity की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये रेस्पोडेन्ट खीवा एवं भगा के वारिसान को रेकर्ड पर लिये मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील 44/2018 एवं 66/2018 आंशिक स्वीकार की जाती है। एवं सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 407/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खीवा एवं भगा के विधिक वारिसानो को रेकर्ड पर लिया जाकर वादग्रस्त आराजीयात से संबधित समस्त खातेदारो को सुनवाई, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करने का पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। मूल निर्णय की प्रति संबधित प्रकरण संख्या 66/2018 के साथ संलग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली